FORM No. 123
(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **घीसालाल बनाम मुनीसुब्रतनाथ दिगंबर जैन** **दीवानी मूल वाद संख्या – 54/2021(29/2010)** **सीआईएस संख्या – 516/2014**	Brief note of Compliance of Order
13.02.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेज मिलान दिनांक 08.01.2025, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी दिनांकित 08.01.2025, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी दिनांकित 28.01.2025 का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्रों बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र वास्ते दस्तावेज मिलान दिनांक 0.01.2025 के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत है। वादीगण ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज परिवार का सजरा, पट्टा दिनांक 24.07.1924, तहरीर संवत 2004 मय अनुवाद, जाहिर सूचना दिनांक 25.03.1979, रियासत काल रसीदे कुल 23 की फोटोप्रति पेश की है। साक्ष्य से पूर्व मूल प्रति से मिलना करना आवश्यक है। अतः उक्त दस्तावेज के मिलान की अनुमति प्रदान किए जाने का निदेवन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किए कि असल प्रति न्यायालय के समक्ष पेश करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। दस्तावेज विशालकाय दस्तावेज की श्रेणी में नहीं आने से मिलान के जरिये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। असल प्रति पेश करना कानून आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज जिनकी फोटोप्रति को पूर्व में पत्रावली में पेश करना जाहिर करते हुए मूल दस्तावेजों से साक्ष्य से पूर्व मिलान करवाए जाने का निवेदन किया गया है परंतु उक्त मिलान किस विधिक प्रावधानों के तहत करवाना चाहता है, इस संबंध में कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जहाँ मूल दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाते है तथा बाद में पेश किए जाते है तो वे न्यायालय की अनुमति से ही पेश किए जा सकते है। जिसके संबंध में आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी में प्रावधान किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को मूल रूप से पत्रावली पर पेश क्यों नहीं किए गए इस संबंध में प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य अंकित नहीं किए गए है। चूंकि मूल दस्तावेजों को ही साक्ष्य में प्रस्तुत करवाया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में मूल दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचनानुसार वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। अन्य प्रार्थना आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी दिनांक 08.01.2025 के जरिये वादीगण ने एफआर संख्या 02/07 आदेश दिनांक 19.02.2010, फौजदारी निगरानी संख्या 23/11 निर्णय दिनांक 19.03.2013, आम सूचना खण्डन दिनांक	

10.01.2013 व दिनांक 29.12.2012 आम सूचना को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया तथा फौजदारी निगरानी संख्या 23/11 के निर्णय दिनांक 19.03.2013 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायायल में रिवीजन पेश की जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल द्वारा दिनांक 14.09.2023 को अस्वीकार कर दी गई की प्रमाणित प्रति दिनांक 07.01.2025 को प्राप्त करने से उसे भी रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरण संख्या 35/05 घीसालाल बनाम कन्हैयालाल कैलाशचंद वगैरह में कमला देवी झांझरी द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा व शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति को भी रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। पट्टा दिनांक 15.10.1923 व दिनांक 24.07.1924 का हिन्दी अनुवाद जो पूर्व में फर्द दस्तावेज दिनांक 16.10.2023 के साथ संलग्न है को भी रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किए कि उक्त दस्तावेज वर्ष 2010, 2012, 2013 में अस्तित्व में आ गए थे, जिनको 15 वर्ष तक पेश नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र विलंब से प्रस्तुत किया गया है। अतः सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र एफआर संख्या 02/07 आदेश दिनांक 19.02.2010, फौजदारी निगरानी संख्या 23/11 निर्णय दिनांक 19.03.2013, आम सूचना खण्डन दिनांक 10.01.2013 व दिनांक 29.12.2012 आम सूचना, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिवीजन में पारित आदेश दिनांक 14.09.2023 की प्रमाणित प्रति, अन्य प्रकरण संख्या 35/05 घीसालाल बनाम कन्हैयालाल कैलाशचंद वगैरह में कमला देवी झांझरी का जवाब दावा व शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति, पट्टा दिनांक 15.10.1923 व दिनांक 24.07.1924 जो देवनागरी लिपि में है के हिन्दी अनुवाद की प्रति को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया है परंतु उक्त दस्तावेज पट्टा दिनांक 15.10.1923 व दिनांक 24.07.1924 की असल या प्रमाणित प्रति को पेश नहीं किया गया है केवल उसका अनुवाद पेश किया गया है तथा जो अनुवाद पेश किया गया है वह फोटोप्रति दस्तावेज होना प्रकट होता है, असल दस्तावेज नहीं है। इसके अतिरिक्त जिस दस्तावेज का वह अनुवाद है उक्त मूल दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उसे रिकोर्ड पर नहीं लिया जा सकता है। अन्य दस्तावेज में आम सूचना की अखबार प्रति है को पेश किया गया है तथा शेष दस्तावेज निर्णय आदेशों की प्रमाणित प्रति है। प्रकरण 35/05 घीसालाल बनाम कन्हैयालाल कैलाशचंद वगैरह में कमला देवी झांझरी का जवाब दावा व शपथ पत्र भी प्रमाणित प्रति दस्तावेज है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों के प्रकरण से संबंधित होने से एवं पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त प्रश्नों के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए उन्हें रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायालय में न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु उक्त दस्तावेज अत्यधिक विलंब से पेश किए गए है तथ विलंब का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त विलम्ब के लिए वादीगण पक्ष पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 800/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज हिन्दी अनुवाद पट्टा के अलावा शेष दस्तोवजों को रिकोर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

अन्य प्रार्थना आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी दिनांक 28.01.2025 के संबंध में दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने कथन किया कि वादीगण के पिता घीसालाल ने

वादग्रस्त अचल संपति के अवैध रूप के बेचान करने के संबंध में फौजदारी प्रकरण संख्या 230/06 पुलिस थाना किशगनढ़ में अंतर्गत धारा 420, 465, 471, 120 बी भादस के तहत दर्ज करवाया था। जिसमें एफआर संख्या 02/07 पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.07.2008 को स्वीकार कर लिया। वादीगण के पिता घीसालाल ने उक्त एफआर के विरूद्ध फौजदारी रिवीजन 48/08 घीसाराम बनाम सरकार दिनांक 23.07.2008 पेश की जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 20.01.2025 को प्राप्त हुई। उक्त फौजदारी रिवीजन को दिनांक 13.08.2009 को स्वीकार कर लिया जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 20.01.2025 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 के पिता मूलचंद झांझरी ने वादग्रस्त अचल संपत्ति के संबंध में विभाजन का एक वाद संख्या 09/04 मूलचंद बनाम पारसमल वगैरह अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक संख्या 03), किशनगढ़ के समक्ष पेश किया जो दिनांक 19.05.2004 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील 670/04 मूलचंद बनाम पारसमल वगैरह प्रस्तुत की गई जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2019 को खारिज कर दी गई। उक्त दिनांक 24.07.2019 की प्रमाणित प्रति दिनांक 18.01.2025 को प्राप्त हो गई है। अतः उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित में कोई पेश नहीं किया गया व दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने कथन किया कि दस्तावेज अत्यधिक विलंब से पेश किए गए है। फौजदारी प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का सिविल मामलों में कोई प्रभाव नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर नहीं लिए जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा जरिये प्रार्थना फौजदारी रिवीजन 48/08 घीसाराम बनाम सरकार की प्रमाणित प्रति, उक्त फौजदारी रिवीजन में पारित आदेश दिनांक 13.08.2009 की प्रमाणित प्रति, माननीयराजस्थान उच्च न्यायालय में मूलचंद बनाम पारसमल वगैरह की प्रथम अपील 670/04 में दिनांक 24.07.2019 को पारित आदेश की प्रमाणित प्रति को रिकोर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया। उक्त दस्तावेज न्यायालय के आदेशों की एवं न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति है जो प्रकरण से संबंधित है तथा पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त प्रश्नों के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु उक्त दस्तावेज अत्यधिक विलंब से पेश किए गए है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त विलम्ब के लिए वादीगण पक्ष पर कोस्ट अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र 800/– रूपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त दस्तावेजों को रिकोर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है। कोस्ट अदायगी उक्त दस्तावेज को रिकोर्ड पर लेने की पूर्वभावी शर्त रहेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु दिनांक 21.02.2025 को पेश हो।

(शालिनी शर्मा)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।